

डिकी मुकदमा इबादाई  
(ओ0 20 रूल 6-7 जाबता दीवानी)  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम-हिण्डौन जिला करौली  
इजलास

प्रकरण संख्या:-05/2011

दायर दिनांक:-12.01.2011

जीसीएमएस नं. 2011/00321

1. मुरारी
2. पूरन
- 2/1 धर्मकौर बेवा पुरन
- 2/2 गोविन्द पुत्र पुरन
- 2/3 रेखा पुत्री पूरन
3. सुमरण
4. मोहन

पिसरान नन्नु जाति जाट निवासी शेरपुर  
तहसील-हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0

-----वादीगण-07

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0
2. कजीडी पुत्र गिरांज जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0
3. दी स्टेट ऑफ राजस्थान तामील जरिये जिला कलक्टर करौली
4. तहसीलदार तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली
5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा हिण्डौनसिटी


-----प्रतिवादीगण-05

दावा बाबत इन्द्राज दुरुस्ती घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 05/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री संजय शर्मा मिन कानिव मुदई श्री लखनलाल गोयल एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। वादी ने इस संबंध में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र में वादी के हिस्से में रकबे में भी कमी की वृद्धि उसके लगे हुए खसरा नम्बरान से होने को साबित करने असफल रहा है। वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 136, 88, 188 खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.08.2011 को यह डिकी जारी की गई।

  
(हेमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला करौली